राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या 937/2016

डॉ गणपत राम कालेर —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.11.2016
आदेश की दिनांक : 20.11.2024

उपस्थित :—
अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमन्त श्रीमाली, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा गया है कि आदेश दिनांक 05.06.2014 को संशोधित किया जाकर अपीलार्थी को DACP का लाभ दिनांक 11.07.2011 से दिया जावे जिस तिथि से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को प्रदान किया गया है एवं आदेश दिनांक 13.06.2011 को संशोधित किया जावे और अपीलार्थी को द्वितीय एसीपी का लाभ दिनांक 01.09.2008 के बजाए दिनांक 21.06.2006 से प्रदान किया जावे।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को आदेश दिनांक 20.06.1984 के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग में सिविल एसिसटेंट सर्जन के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 21.06.1984 को राजकीय अस्पताल छोटी खाटू में कार्यग्रहण किया। तत्पश्चात् अपीलार्थी विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरण किया गया और वर्तमान में उपनिदेशक मुख्य स्वास्थ्य केन्द्र, कुचेरा, नागौर में पदस्थापित है। डीपीसी की अनुशंषा पर अपीलार्थी को चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्ष 2000—01 की रिक्तियों के

विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 16.09.2004 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी को दिनांक 28.11.2002 को आरोप पत्र जारी किया गया और जांच कार्यवाही के पश्चात् अपीलार्थी को 2 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का दण्डादेश दिनांक 04.08.2005 (अनुलग्नक–1) जारी किया गया। इस दण्डादेश के कारण अपीलार्थी को वर्ष 2005 एवं 2006 की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की गई। सेवा पुस्तिका का संबंधित भाग (अनुलग्नक–2) पर उपलब्ध है। इसके पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से उपनिदेशक के पद पर पदोन्नति की गई। परन्तु अपीलार्थी के विरूद्ध दण्डादेश होने के कारण उसके नाम पर विचार नहीं किया गया और पदोन्नति नहीं दी गई। इसके पश्चात् अधिसूचना दिनांक 12.09.2008 की अनुपालना में आदेश दिनांक 13.06.2011 द्वारा 20 और 30 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने पर अपीलार्थी को एसीपी का लाभ स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 21.06.1984 को सेवा में कार्य ग्रहण किया और उसकी 20 वर्ष की सेवाएं दिनांक 21.06.2004 को पूरी होती है और उसके विरूद्ध जारी दण्डादेश के प्रभाव से वह दिनांक 21.06.2006 को पात्र हो जाता है, परन्तु उसे 20 वर्ष की सेवाओं पर देय एसीपी दिंनाक 01.09.2008 से स्वीकृत की गई। आदेश दिनांक 13.06.2011 (अनुलग्नक–3) पर उपलब्ध है। इस आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी का आदेश दिनांक 28.06.2011 द्वारा वेतन नियतन किया गया और वेतन श्रृंखला 15600–29100 कर पे 6800 में दिनांक 01.09.2008 (अनुलग्नक–4) से वेतन निर्धारित किया गया। जबकि अपीलार्थी दिंनाक 21.06.2006 को इसका पात्र हो जाता है। दिनांक 05.06.2014 द्वारा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से उप निदेशक और समकक्ष पदों पर पदोन्नति आदेश जारी किये गए। उसके अनुसार अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 29 पर है और अपीलार्थी को पदोन्नति दिनांक 01.04.2013 से दी गई, जबकि उसी वर्ष हेतु चयनित और पश्चातवर्ती वर्ष चयनित कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति दिनांक 11.07.2011 से दी गई और अपीलार्थी को दण्डादेश के आधार पर 2 वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित रखा गया, जो अनुचित एवं दोहरे दण्ड की श्रेणी में आता है। आदेश दिनांक 05.06.2014 (अनुलग्नक–5) पर उपलब्ध है। अपीलार्थी को उस तिथि से पदोन्नति नहीं दी गई जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिकों को दी गई है। अपीलार्थी को 2 वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड के फलस्वरूप वर्ष 2005 एवं 2006 की वार्षिक वेतन वृद्धियां नहीं दी गई, साथ ही एसीपी भी दिनांक 25.06.2006 के बजाए दिनांक 01.09.2008 से दी गई और पदोन्नति भी विलम्ब से प्रदान की गई।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से प्रकरण में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिकरण के आदेश दिनांक 06.11.2023 द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, जयपुर को यह निर्देशित किया गया है कि प्रकरण में पैरवी हेतु समुचित कदम उठाए जावे और प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था और यह भी आदेशित किया गया था कि जवाब प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में इस अधिकरण के समक्ष अपील में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्णय करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहेगा। अधिकरण के उक्त आदेश को एक साल से ज्यादा अवधि व्यतीत होने के बावजूद अभी तक प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन कर अनुशीलन एवं मनन किया।

अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील में चाहा गया अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध दण्डादेश के प्रभाव के कारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुसार है और उन्होंने अपील खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दण्डादेश दिनांक 04.08.2000 (अनुलग्नक–01) के अनुसार अपीलार्थी को 2 वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से दण्डित किया गया। जिसके प्रभाव से अपीलार्थी को दिनांक 16.09.2005 में देय वार्षिक वेतनवृद्धि और दिनांक 16.09.2006 में देय वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की गई है। अपीलार्थी को दिनांक 13.06.2011 (अनुलग्नक–3) को 20 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर दिनांक 21.06.2004 को चयनित वेतनमान देय होता है परन्तु आदेश दिनांक 13.06.2011 के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह दिनांक 01.09.2008 से स्वीकृत किया गया है। जबकि 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय द्वितीय एसीपी उसके विरूद्व जारी दण्डादेश से दण्डित किये जाने के दृष्टिगत अपीलार्थी को चयनित वेतनमान 2 वर्ष विलम्ब से दिनांक 21.06.2006 को स्वीकृत किया जाना चाहिए। साथ ही आदेश दिनांक 05.06.2014 जिसके द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2013 से DACP स्वीकृत की गई। जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध जारी दण्डोदश दिनांक 04.08.2005 से जारी किया गया है, जो अपीलार्थी को जारी आरोप पत्र दिनांक 28.11.2002 के संदर्भ में जारी किया गया है। किसी भी दण्डादेश का प्रभाव 7 वर्ष के लिए रहता है, लिहाजा इस दण्डादेश का प्रभाव आरोप पत्र जारी करने से 7 वर्ष तक अर्थात् वर्ष 2009–10 तक रहेगा। अतः अपीलार्थी को DACP उससे कनिष्ठ कार्मिकों के बाद की तिथि में स्वीकृत करने का हम कोई आधार नहीं पाते है।

उक्त विवेचन के दृष्टिगत अपील अपीलार्थी इस अनुरूप स्वीकार की जाती है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय चयनित वेतनमान दिनांक 21.06.2006 से स्वीकृत किया जावे और साथ ही DCAP का लाभ भी दिनांक 11.07.2011 से स्वीकृत किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि अधिकरण के इस आदेश की पालना आदेश की प्रति प्राप्ति की तिथि से 3 माह में करना सुनिश्चित किया जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतनराम देवड़ा)
सदस्य